



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126979

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 23722 वर्ष 2026

मेसर्स जे.एच.वी. शुगर लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कार्सित निगम, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 38

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दिन के दौरान उप मंडल मजिस्ट्रेट, निचलौल महाराजगंज को प्रतिपक्षी संख्या-5 के रूप में शामिल करने की अनुमति है।

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रतिपक्षी संख्या-1 से 3 और 5 के लिए खड़े होने वाले श्री कार्सित निगम की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शक्ति स्वरूप निगम को सुना।

3. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ प्रस्तुत याचिका को दायर की दी है: -

I. प्रतिपक्षी संख्या-3 (इस रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या-1) द्वारा 25.05.2026 को ई-मेल द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए आक्षेपित आदेश दिनांक 23.05.2026 को रद्द करने वाले उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।



II. गोदाम में पड़े चीनी के भंडार के प्रवेश और निकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, महाराजगंज को निर्देश/आदेश देते हुए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

4. रिट याचिका में निहित संक्षेप में तथ्य यह हैं कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 (इसके बाद "कोड, 2016" के रूप में संदर्भित) के तहत दायर आवेदन पर, दिनांक 07.04.2025 का आदेश राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, विशेष पीठ, न्यायालय-I कोलकाता (इसके बाद एन.सी.एल.टी. कोलकाता के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा उपरोक्त आवेदन को स्वीकार किया गया था, उपरोक्त आदेश की प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या-2 के रूप में संलग्न है।

5. श्री शक्ति स्वरूप निगम, वरिष्ठ अधिवक्ता ने उपरोक्त आदेश के प्रस्तर-16(बी) पर भरोसा किया, जिसमें दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की अधिस्थगन धारा 14 का संदर्भ है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवाद के बेहतर निर्णय के लिए, संहिता, 2016 की धारा 14, 81, 85 और 238 प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैं: -

"14. अधिस्थगन

(1) उप-धाराओं (2) और (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दिवालियापन प्रारंभ होने की तारीख पर, निर्णय अधिकारी घोषित करने वाला आदेश निम्नलिखित सभी को प्रतिबंधित करने के लिए अधिस्थगन द्वारा होगा, अर्थात् -

(ए) कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ मुकदमों की संस्था या लंबित मुकदमों या कार्यवाही की निरंतरता जिसमें कानून की किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश का निष्पादन शामिल है

विशेषज्ञ;

(ख) कारपोरेट देनदार द्वारा अपनी किसी परिसंपत्ति या उसमें किसी विधिक अधिकार या लाभकारी हित का अंतरण, भार, भार, विलगीकरण, निस्तारण।



(ग) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 वर्ष 2002) के अंतर्गत कोई कार्रवाई सहित कारपोरेट देनदार द्वारा अपनी संपत्ति के संबंध में सृजित किसी प्रतिभूति हित को बंद करने, वसूलने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई;

(घ) किसी मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी संपत्ति की बरामदगी जहां ऐसी संपत्ति पर कॉर्पोरेट देनदार द्वारा या उसके कब्जे में है।

(2) कारपोरेट देनदार को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिस्थगन अवधि के दौरान समाप्त या निलंबित या बाधित नहीं किया जाएगा। (3) उपधारा (1) के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे

(क) ऐसे लेनदेन, करार या अन्य व्यवस्थाएं जो किसी वित्तीय नियामक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं,

(बी) एक कॉर्पोरेट देनदार को गारंटी के अनुबंध में एक जमानत;

(4) अधिस्थगन का आदेश ऐसे आदेश की तारीख से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रभावी होगा;

बशर्ते कि जहां कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान किसी भी समय, यदि निर्णायक प्राधिकरण धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत समाधान योजना को मंजूरी देता है या धारा 33 के तहत कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन के लिए एक आदेश पारित करता है, तो अधिस्थगन परिसमापन आदेश के ऐसे अनुमोदन की तारीख से प्रभावी नहीं होगा, जैसा भी मामला हो।

धारा -81. नए सिरे से शुरू आदेश के लिए आवेदन

(1) जब एक देनदार द्वारा धारा 80 के तहत एक आवेदन दायर किया जाता है, तो सभी ऋणों के संबंध में उक्त आवेदन दाखिल करने की तारीख से एक अंतरिम अधिस्थगन शुरू होगा और इस तरह के आवेदन के प्रवेश या अस्वीकृति की तारीख पर प्रभावी होना बंद हो जाएगा, जैसा भी मामला हो। (2) अंतरिम-अधिस्थगन अवधि के दौरान-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(1) उसके किसी भी ऋण के संबंध में लंबित कोई भी कानूनी कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही पर रोक लगा दी गई मानी जाएगी; तथा

(ii) कोई भी लेनदार ऐसे ऋण के संबंध में कोई कार्रवाई या कार्यवाही शुरू नहीं करेगा।

(3) धारा 80 के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति से और ऐसे शुल्क के साथ होगा, जैसा विहित किया जाए।

(4) उपधारा (3) के तहत आवेदन में एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित निम्नलिखित जानकारी होगी, अर्थात् -

(ए) उक्त आवेदन की तारीख को देनदार द्वारा बकाया सभी ऋणों की एक सूची के साथ प्रत्येक ऋण की राशि, उस पर देय ब्याज और लेनदारों के नाम जिनके लिए प्रत्येक ऋण बकाया है;

(ख) ऋणों पर कितना ब्याज देय है और संविदा में इसकी दर क्या निर्धारित की गई है;

(ग) किसी भी ऋण के संबंध में धारित प्रतिभूतियों की सूची;

(घ) आवेदन की तारीख से दो साल पहले तक देनदार और उसके तत्काल परिवार की वित्तीय जानकारी;

(ई) देनदार के व्यक्तिगत विवरण का विवरण, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;

(1) आवेदन करने के कारण;

(छ) किसी भी कानूनी कार्यवाही का विवरण, जो देनदार की जानकारी में उसके खिलाफ शुरू किया गया है;

(छ) इस बात की पुष्टि कि इस अध्याय के तहत आवेदन की तारीख के पिछले बारह महीनों में देनदार के अर्हक ऋणों के संबंध में कोई पिछला नया प्रारंभ आदेश नहीं दिया गया है।

सेक०-85. आवेदन के प्रवेश का प्रभाव।



(1) आवेदन के प्रवेश की तारीख पर, सभी ऋणों के संबंध में अधिस्थगन अवधि शुरू होगी।

(2) अधिस्थगन अवधि के दौरान - (ए) किसी भी ऋण के संबंध में किसी भी लंबित कानूनी कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही पर रोक लगा दी गई मानी जाएगी; तथा

(ख) धारा 86 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लेनदार किसी भी ऋण के संबंध में कोई विधिक कार्रवाई या कार्यवाही शुरू नहीं करेंगे।

(3) अधिस्थगन अवधि के दौरान, ऋण -

(ए) किसी भी कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य नहीं करना, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कंपनी के प्रचार, गठन या प्रबंधन में भाग नहीं लेना या संबंधित होना;

(बी) उसकी किसी भी संपत्ति का निपटान या हस्तांतरण नहीं करना;

(ग) अपने व्यापार भागीदारों को सूचित करें कि वह एक नई शुरुआत प्रक्रिया से गुजर रहा है;

(घ) किसी भी वित्तीय में प्रवेश करने से पहले सूचित करने की आवश्यकता है या वाणिज्यिक लेन-देन या ऐसा मूल्य जो केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से अधिसूचित किया जा सकता है, कि वह एक नई शुरुआत प्रक्रिया से गुजर रहा है;

(ई) उस नाम का खुलासा करना जिसके तहत वह व्यावसायिक लेनदेन में प्रवेश करता है, यदि यह धारा 84 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन में नाम से भिन्न है;

(1) निर्णायक प्राधिकारी की अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं करना।

(4) प्रवेश की तारीख से शुरू होने वाले एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के अंत में अधिस्थगन तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक कि आवेदन को स्वीकार करने वाला आदेश धारा 91 की उपधारा (2) के तहत रद्द नहीं किया जाता है।



सेकंड-"238. इस संहिता के उपबंध असंगत अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए इस संहिता के उपबंध प्रभावी होंगे, भले ही किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के होते हुए भी ऐसे किसी भी कानून के आधार पर प्रभावी हो।

6. वरिष्ठ अधिवक्ता ने **अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स होटल गौड़वन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (सिविल अपील संख्या-16929 वर्ष 2017)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रस्तर-5 और 6 के फैसले और आदेश पर भरोसा किया, जो इस प्रकार हैं: -

5) नई दिवाला संहिता का जनादेश यह है कि जिस क्षण एक दिवालिया याचिका स्वीकार की जाती है, धारा 14 (1)(ए) के तहत लागू होने वाली अधिस्थगन स्पष्ट रूप से कॉर्पोरेट देनदारों के खिलाफ लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखने या प्रतिबंधित करती है

6) यह मामला होने पर, हमें आश्चर्य है कि उक्त स्थगन को लागू करने के बाद एक मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई है और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील पर विचार किया जा रहा है। इसलिए, हम जिला न्यायाधीश के दिनांक 06.07.2017 के आदेश को रद्द करते हैं और आगे कहते हैं कि धारा 14(1)(ए) का प्रभाव यह है कि उपरोक्त अधिस्थगन के बाद जो मध्यस्थता शुरू की गई है, वह कानून में गैर-कानूनी है।

7. यह तर्क दिया जाता है कि उपरोक्त निर्णय द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिस्थगन के लागू होने के मद्देनजर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 37 के तहत पारित आदेश को रद्द कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने पी. मोहनराज और अन्य बनाम शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, (2021) 6 उच्चतम वाद 258 के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया। यह तर्क दिया जाता है कि उपरोक्त मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संहिता, 2016 की धारा 81 और 85 पर भरोसा करने के बाद संहिता, 2016 की धारा 14 के तहत दी जा रही अधिस्थगन को देखते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया है। उन्होंने एबीजी शिपिंग यार्ड के परिसमापक सुंदरेश भट्ट बनाम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, (सिविल अपील संख्या-7667 वर्ष 2021) के मामले



में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। उपरोक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आदेश को रद्द कर दिया है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि एन.सी.एल.टी., कोलकाता द्वारा पारित दिनांक 07.04.2025 के आदेश के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई/कुर्की/बरामदगी शुरू नहीं की जा सकती है और इसलिए फ्रीजिंग का आदेश दिनांक 16.03.2026 पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसे कानून के तहत बनाए नहीं रखा जा सकता है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता की कंपनी ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित रिट याचिका संख्या-39089 वर्ष 2025 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 09.12.2025 के खिलाफ अपील की विशेष अनुमति (सी) संख्या-36904 वर्ष 2025 दायर की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24.02.2026 को एक आदेश पारित किया, जिसकी प्रति कागजी किताब में अनुलग्नक संख्या-4 के रूप में संलग्न है। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के बैंक खाते को फ्रीज करने के कारण, याचिकाकर्ता कंपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.02.2026 के आदेश का पालन करने में असमर्थ है, जिसके परिणामस्वरूप अवमानना याचिका दायर की गई है और संभावित तिथि 13.07.2026 है। यह तर्क दिया जाता है कि अब याचिकाकर्ता को 25.05.2026 को ई-मेल के माध्यम से दिनांक 23.05.2026 का आदेश दिया गया था। उपरोक्त आदेश प्रतिपक्षी संख्या-3/जिला गन्ना अधिकारी, महाराजगंज द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 17 करोड़ रुपये की शेष राशि जमा करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया था और 2.49 करोड़ रुपये की बेची गई चीनी जमा करने का निर्देश दिया गया था। आगे निर्देश दिया गया कि संघ द्वारा धरने के कारण चीनी का उठाव और निकासी रोक दी गई है।

9. पक्षों के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

10. अभिलेखों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि एन.सी.एल.टी., कोलकाता द्वारा पारित दिनांक 07.04.2025 के आदेश के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई/कुर्की/बरामदगी शुरू नहीं की जा सकती है और इसलिए फ्रीजिंग का आदेश दिनांक 16.03.2026 पूरी तरह से



अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना है और संहिता की धारा 14 के तहत प्रदान किए गए अधिस्थगन को देखते हुए कानून के तहत इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। 2016 के रूप में, किसी भी अधिनियम/अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी बरामदगी और प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा दिनांक 23.05.2026 को पारित इस तरह के आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है। रिट याचिका में आगे कहा गया है कि पेराई सीजन 2025-26 के लिए याचिकाकर्ता ने 2.15 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है और 71.45 करोड़ रुपये जमा करने के बावजूद उसने केवल 1.13 लाख क्विंटल चीनी जारी की है। याचिकाकर्ता ने अपने संसाधनों से 13.58 करोड़ रुपये अतिरिक्त जमा किए हैं, लेकिन जिला गन्ना आयुक्त ने चीनी वर्ष 1.13 लाख क्विंटल का रिलीज आदेश जारी नहीं किया है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए पर्याप्त होगा। यह तर्क दिया जाता है कि यदि उपरोक्त चीनी जारी की गई थी तो याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करेगा और शेष राशि का भुगतान किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि 03.07.2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना की कार्यवाही अभी भी लंबित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन केवल तभी किया जा सकता है जब याचिकाकर्ता को अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी जाए।

11. इस मामले को देखते हुए, प्रतिपक्षी संख्या-3/जिला गन्ना अधिकारी, महाराजगंज के साथ-साथ उप मंडल मजिस्ट्रेट, निचलौल महाराजगंज/प्रतिपक्षी संख्या-5 को याचिकाकर्ता के गोदाम में पड़े गन्ने के स्टॉक को तुरंत छोड़ने और गोदाम में पड़े चीनी के स्टॉक के प्रवेश और निकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए एक परमादेश जारी किया जाता है।

12. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, प्रतिपक्षी संख्या-3/जिला गन्ना अधिकारी, महाराजगंज द्वारा जारी 25.05.2026 (अनुलग्नक संख्या-1) को ई-मेल द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए आदेश दिनांक 23.05.2026 को रद्द/अपास्त किया जाता है और याचिकाकर्ता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने और मार्च से श्रमिक को बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपने बैंक खाते को संचालित करने की अनुमति दी जाती है। 2026.



13. रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया)

12 जून 2026

सकलेन

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!